न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 133/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

प्रार्थीगणः– 1. शेहता 2.शाहमीर 3.सरीफ पि.गुलाम
जाति मुसलमान, निवासी सुकालिया (बीजराड़)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगणः– 1. खाण्डबाई पत्नि आदम 2.चंगाखान पुत्र उमर 3.मुनत पत्नि मिंदा 4. हाफत पुत्र उमर, जाति मुसलमान,निवासी सुकालिया (बीजराड़), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 5.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– श्री विक्रमसिंह भाटी
विप्रार्थीगण :– श्री हासम खान

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 26.07.2024

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील चौहटन के पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा सुकालिया में प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा सं. 1017/685 रकबा 10.4247 हैक्टयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, रहवासी ढाणियां, टांका, लाटा आदि बने हुए है। प्रार्थीगण के सेढ़ासेढ़ विप्रार्थी सं. 1 से 4 का खसरा सं. 1016/685 रकबा 10.4247 हैक्टयर मौजा सुकालिया में आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के उक्त खेत मूल खसरा सं. 685 के भाग थे। पक्षकारान के मध्य विभाजन होने से बट्टा नम्बर अंकित किये गये। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 4 के खेतों के बीच तरमीम की हुई लेकिन लट्ठा में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। राजस्व अधिकारियों ने मौके की जांच किये बगैर गलत तरमीम कर दी, प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त सलंग्न परिशिष्ट "अ" के बरंग लाल तथा विप्रार्थी सं. 1 से 4 का कब्जा काश्त बरंग हरा अनुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त वादग्रस्त आराजी की तरमीम दुरस्त करवाना चाहते है, जिसके लिए आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया । विप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हासम खान वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया। आवेदन में वर्णित वादग्रस्त भूमि की तरमीम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उपस्थित अधिवक्ताओं ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार की तथा निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जावे।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा सुकालिया (बीजराड़) के खसरा सं. 1017/685 एवं 1016/685 की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट के परिशिष्ट "ए" अनुसार तरमीम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवाय अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

परिशिष्ट A

नक्शा किश्तवार

मौजा - सुकालिया

पैमाना - १" = ८० गट्ठा

रा. आ. सं. 133/2023

शैहता वगै. v/s खड्डबाई वगैरह u/s 131, 136

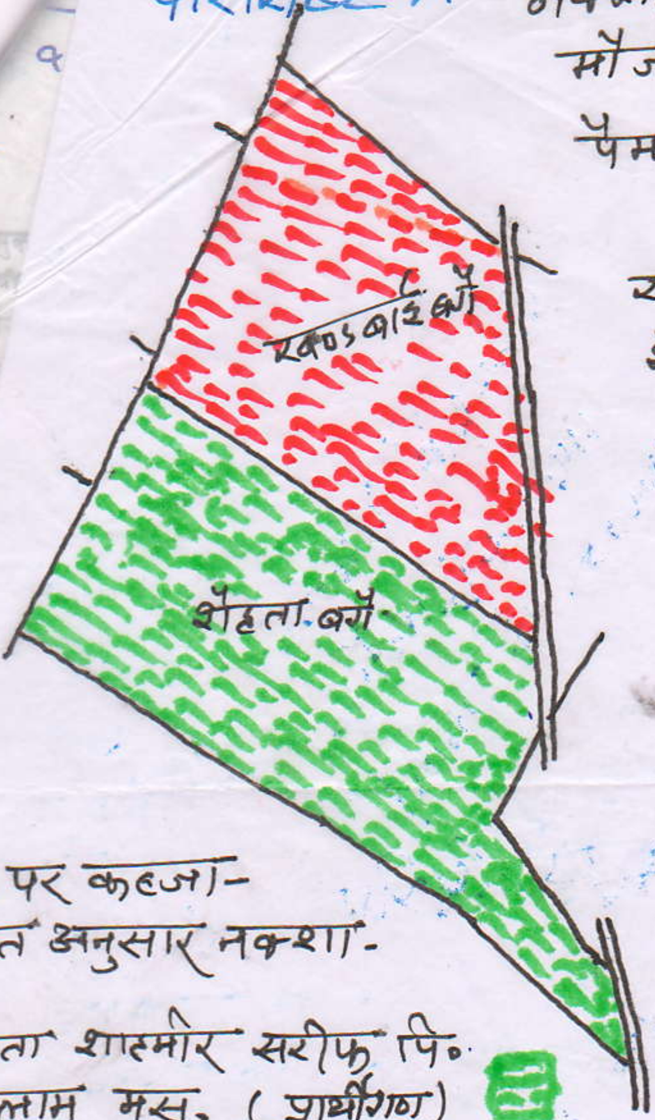

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

मौके पर कब्जा-काश्त अनुसार नक्शा-

1. शैहता शाहमीर सरीफ पि. गुलाम मुस. (प्रार्थीगण)

2. खड्डबाई प. आदम चंगारखान हाफत पि. उमर मुनत वा. मीदा (विप्रार्थीगण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:17:01 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार चौहटन